जीवणराम बनाम कमलेश वगैरह
मुकदमा नम्बर 198 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी:–

जीवणराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम कालिया का बास तहसील नावां जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. कमलेश पुत्र तेजाराम
2. प्रहलाद पुत्र तेजाराम
3. रामनिवास पुत्र तेजाराम
4. संजूदेवी पुत्री तेजाराम
5. बोदीदेवी पत्नि तेजाराम
6. केशाराम पुत्र सुण्डाराम
7. तीजादेवी पुत्री सुण्डाराम
8. मालीदेवी पुत्री सुण्डाराम
9. सीतादेवी पुत्री सुण्डाराम
10. विमलादेवी पुत्री सुण्डाराम
11. मदनलाल पुत्र भुराराम
12. शंकरलाल पुत्र भूराराम
13. सोहनलाल पुत्र भूराराम
14. जमनादेवी पत्नि भूराराम
15. जोधाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी कालिया का बास तहसील नावां जिला डीडवाना– कुचामन
16. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मारोठ
17. भूमिधारी जरिए तहसीलदार, नावां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

दावा वास्ते भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादी
श्री श्रवणराम जाट प्रतिवादी संख्या 1 ता 14
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 15

मुकदमा नम्बर: 198 / 2023 निर्णय दिनांक:– 31.01.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम कालिया का बास तहसील नावां की सरहद में कृ[illegible]त खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 18 रकबा 1.40 हैक्टर भूमि स्थित रही है। राजस्व ग्राम कालिया का बास के खसरा नम्बर 18 कुल रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में वादी जी[illegible]राम की 1/3 हिस्सा [illegible] अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04.24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

0.4688 हैक्टर भूमि कब्जा कास्त एव खातेदारी अधिकारो में दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी आज दिन निरन्तर एव निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी भूमियों का काफी वर्षों पूर्व विभाजन कर अपनी– अपनी सीव माठ कायम कर अपने–अपने हक बट पाती पर काबिज होकर काश्त करने लग गये। वादी जीवणराम की 1/3 हिस्सा की 0.4666 हैक्टर भूमि के चारो तरफ कच्ची पक्की सीव माठ कायम चली आ रही है। वादी की भूमि में आने जाने का रास्ता मौके पर खसरा आराजी की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 17 से शुरू होकर उत्तर दक्षिण चला आ रहा है। जिसको वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति व सुविधा के अनुसार मौके पर कायम कर रखा है। वादी ने अपने कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो में अभिलिखित उपर्युक्त भूमि को लाखो रूपया लगाकर समतल इत्यादि करवाकर काफी उपयोगी एंव उपजाउ बनाया है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्से की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर मौके पर चिन्हित कर रखा है। वादी के खातेदारी अधिकारो की उक्त भूमि मौके पर अलग सीव मॉंठ की शक्ल में स्थित है। जिस पर वर्ष प्रतिवर्ष काश्त कर अपना व अपने परिवार का लालन पालन करता चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण भूमि के उपयोग एंव उपभोग में काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है तथा बिना विधिवत विभाजन के अपने कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सहायता व योजनाऐ नही ले पा रहे है। वादी जीवणराम की 1/3 की 0.4666 हैक्टर हिस्सा भूमि एक ही चक में स्थित है। उक्त अपने कब्जा शुद्धा व खातेदारी अधिकारो की भूमि का मुताबिक नजरी नक्शा स्पष्ठ भु–विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि की सीवनीव माठ के साथ में आये दिन बेडछाड व कब्जा काश्त में दखलदाजी करते रहते है। इस बदनियति के चलते प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया तौर पर धमकीया देना शुरु कर दिया है कि हम तुम्हे तुम्हारी बंट पाती की भूमि से नहीं आने देगे तथा मौके पर जो रास्ता है। उस पर मे रास्ते अतिचार कर बाहजोत कर अमिट कर देगे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया आवे की वे स्वयं व अपने ऐजेन्टो के मार्फत वादी की भूमि की सीवनीव माठ के साथ छेडछाड व मौके पर स्थित रास्ते से आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, रुकावट पैदा नही करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 खातेदार/सह खातेदार व मृतक खातेदारी लादूडीदेवी के वारिसान होने से, प्रतिवादी संख्या 15 खातेदार/सहखातेदार होने से व प्रतिवादी संख्या 16 के भूमि रहन होने से एंव प्रतिवादी संख्या 17 प्रतिनिधि सरकार होने आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम कालिया का बास तहसील नावां के खसरा नम्बर 18 कुल रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में वादी जीवणराम की 1/3 हिस्सा भूमि एक ही चक मे स्थित है। जिसमे आने जाने का रास्ता रखते हुये स्पष्ट भू–विभाजन करवाना चाहता है। जा मुताबिक नजरी नक्शा भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर पत्थर कायम करने हेतु तहरीर तहसीलदार, नावां को जारी करने एवं वादी जीवणराम की 1/3 हिस्सा की 0.4666 हैक्टर भूमि के कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

दखलनदाजी व सीवनीव के साथ छेडछाड स्वयं व अपने ऐजेन्टो के मार्फत नही करे रास्ता से आवागमन में बाधा उत्पन्न नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 15, 17 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 16 का सम्मन जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाया गया। प्रतिवादी संख्या 16 बैंक होने से बैंक का हित सुरक्षित रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणराम जाट ने इकबाली जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कालिया का बास के खसरा नम्बर 18 रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के नाम दर्ज खातेदारी व लादूडीदेवी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से जरिये उत्तराधिकार मिलने वाली भूमि 0.4666 हैक्टर भूमि एक ही चक में स्थित है जिसमें आने जाने का रास्ता रखते हुए स्पष्ट भू–विभाजन करवाना चाहते है। जिसकी नजरी नक्शा वाद पत्र में पेश अनुसार भू–विभाज़न की डिक्री बहक उत्तरदाता/प्रतिवादीगण फरमाकर पृथक जोत कायम करने हेतु तहसीलदार नावां को जारी करने एवं उत्तरदाता/प्रतिवादीगण की भूमि के साथ किसी भी प्रकार की दखलंदाजी व सीव नीव के साथ छेडछाड स्वयं व अपने एजेन्टों के मार्फत नहीं करे रास्ता से आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी फरमाई जावें। साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू.1 वादी जीवणराम, पी.डब्ल्यू.2 मदनलाल के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी1 है। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी व प्रार्थना पत्र एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री को रोका जाने अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी पेश किये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 15 जोधाराम ने प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर मुताबिक प्राथमिक डिक्री निर्णय करने पेश किया तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में प्राथमिक डिक्री की अपनी को जरिये विड्रोल खारिज होने की माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान की सहमति से पत्रावली का अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ता अनुसार भू–विभाजन करवाने हेतु सहमत। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम कालिया का बास तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 18 रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमियों का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कालिया का बास तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 18 रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:24 IST
Reason: SelfAttested